कार्यालय, उप समाहर्ता, भूमि सुधार ,सदर मेदिनीनगर

दाखिल खारीज अपील वाद सं0– XV–13/12–13

जयनरायण प्रसाद – अपीलार्थी

बनाम

विजय कुमार सिंह एवं अन्य – विपक्षी

2273

आदेश

यह दाखिल–खारीज अपील वाद विद्वान अंचल अधिकारी, सदर मेदिनीनगर द्वारा उतराधिकार नामान्तरण वाद सं0 227/2005–06 में दिनांक 03.06.2005 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विपक्षी लगातार विगत कई तिथियों से अनुपस्थित हैं, इसलिए अभिलेख एकतरफा आदेश हेतु रखा गया।

अपीलार्थी का दावा है कि प्रश्नगत भूमि की स्थलीय जांच एवं बिना आम इश्तहार के विपक्षी के नाम से उतराधिकार नामांतरण का आदेश अंचल अधिकारी सदर द्वारा पारित कर दिया गया है। निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी द्वारा नामांतरण आदेश पारित करने के पूर्व प्रश्नगत् भूमि की दखल कब्जा के बिन्दु पर स्वयं स्थालीय जाँच नहीं की गई है। दाखिल खारीज के लिए महत्वपूर्ण बिन्दु दखल कब्जा ही है। इस वाद में अंतिम निर्णय लेने के लिए प्रश्नगत् भूमि स्थालीय जाँच आवश्यक एवं न्यायोचित है ऐसी स्थिति में अंचल अधिकारी, सदर द्वारा दिनांक 3.06.2005 का पारित आदेश निरस्त किया जाता है तथा निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख रिमांड करते हुए अंचल अधिकारी, सदर मेदिनीनगर को निदेश दिया जाता है f कवे स्वयं प्रश्नगत् भूमि की सम्यक जाँच एवं दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए समुचित अवसर देते हुए इस वाद में नये सिरे से नियमानुकूल आदेश पारित करें।

इस निदेश के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

17.03.17

उप समाहर्ता, भूमि सुधार,
सदर मेदिनीनगर।

17.03.17

उप समाहर्ता, भूमि सुधार,
सदर मेदिनीनगर।

ज्ञापांक 432 दिनांक 21/8/017

प्रतिलिपि – अंचल अधिकारी सदर, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं उक्त दा० खा० वाद सं० 227/05-06 मूल रूप में संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु :- यथोक्त